न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : अरूण पुरोहित आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 237/2019

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. ताराचंद पुत्र स्व0 पुखराज उर्फ पकिया 2. मांगीलाल पुत्र स्व0पुखराज उर्फ पकिया 3. कांतिलाल पुत्र स्व0पुखराज उर्फ पकिया 4. शांति पुत्री स्व0पुखराज उर्फ पकिया 5. पुष्पा पुत्री स्व0पुखराज उर्फ पकिया. जातियान जांगिड ब्राह्मण (सुथार) निवासीगण देसूरी, तहसील देसूरी जिला पाली		1– सरपंच ग्राम पंचायत देसूरी 2– चुन्नीलाल पुत्र स्व0 बंशीलाल 3– सुखीदेवी पत्नी स्व0 बंशीलाल जातियान जांगिड ब्राह्मण (सुथार) निवासीगण देसूरी तहसील देसूरी जिला पाली 4– कमला पुत्री बंशीलाल पत्नी बाबूलाल जाति जांगिड ब्राह्मण (सुथार) निवासी घाणेराव तहसील देसूरी जिला पाली

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी देसूरी जो राजस्व अपील संख्या 63/2017 अनवान ताराचंद वगैरा बनाम ग्राम पंचायत देसूरी वगैरा मे दिनांक 20–11–2019 को पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1–श्री सिद्धार्थ परिहार अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2–श्री महेन्द्र प्रजापत अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से ।
3–श्री भरत श्रीमाली अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 से 4 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 04–01–2021

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देसूरी के समक्ष ग्राम देसूरी के नामांतरकरण संख्या 2643 जिसे सरपंच ग्राम पंचायत देसूरी द्वारा दिनांक 5–5–2016 को स्वीकृत किया गया था, के विरूद्ध इस आशय की प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राज़स्व अधिनियम की पेश की कि उक्त नामांतरकरण मे वर्णित कृषि भूमि खसरा नंबर 1976 रकबा 0.3800 हेक्टेयर किस्म गै.मु. मे वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 2 से 4 के स्व0 पिता एवं पति बंशी उर्फ बंशीलाल पुत्र लुम्बाजी ने अपने खातेंदारी का पूरा 1/2 हिस्सा अपने जीवनकाल मे ही जरिये विकय दिलेख दिनांक 29–8–1995 पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 25 पृष्ठ संख्या 225 से 226 क.सं. 623/95 वर्तमान अपीलांटगण के पिता पुखराज उर्फ पकिया पुत्र लुम्बाजी को कर दिया था तब से ही अपीलांटगण के पिता पुखराज उर्फ पकिया पुत्र लुम्बाजी का उनके जीवनकाल मे तथा उनकी मृत्यु दिनांक 24–4–2002 उपरांत उनके वारिसान वर्तमान अपीलांटगण का कब्जा काश्त लगातार चला आ रहा है । अपीलांटगण इस मुगालते मे रहे कि उक्त भूमि मे बेचान के आधार पर उनके पिता का नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होगा परंतु जब उक्त भूमि की ज़माबंदी की नकल प्राप्त की गई तो जानकारी हुई कि उक्त आराजी मे विद्यमान बंशी पुत्र लुम्बाजी की खातेंदारी का 1/2 हिस्सा पंजीबद्ध बेचान विलेख के आधार पर केता वर्तमान अपीलांट के पिता पुखराज उर्फ पकिया के नाम दर्ज नही होकर बंशीलाल पुत्र

लुम्बा के दिनांक 8–6–11 को फोत होने पर विरासत के नामांतरकरण संख्या 2643 मे रेस्पो0 संख्या 2 से 4 को उक्त बेचान की जानकारी होते हुए तथा राजस्व रेकर्ड मे बेचान के इन्द्राज नही होने की जानकारी का फायदा उठाते हुए वर्तमान रेस्पो0 संख्या 2 से 4 ने मृतक बंशीलाल के वारिसान के रूप मे अपना नाम भी अपीलांटगण के साथ दर्ज करवा कर सरपंच ग्राम पंचायत देसूरी से स्वीकृत करवा लिया, जो विधिविरूद्ध होने से उसे निरस्त करने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 संख्या 2 से 4 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. एवं धारा 135 (2) लेण्ड रेवेन्यु एक्ट पर पक्षकारो की बहस सुनने के बाद अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–11–2019 के द्वारा रेस्पो0गण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 151 सी.पी.सी. का स्वीकार करते हुए अपीलांटगण की अपील को मेन्टेनेबल नहीं मानते हुए खारीज कर दी गई । अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देसूरी द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–11–2019 से व्यथित होकर वर्तमान द्वितीय अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनीं गई । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि वकील अपीलांट ने कथन किया कि मृतक खातेदार बंशी उर्फ बंशीलाल पुत्र लुम्बाजी ने अपने खातेदारी का पूरा 1/2 हिस्सा अपने जीवनकाल मे ही जरिये विकय विलेख दिनांक 29–8–1995 पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 25 पृष्ठ संख्या 225 से 226 क.सं. 623/95 वर्तमान अपीलांटगण के पिता पुखराज उर्फ पकिया पुत्र लुम्बाजी को कर दिया था तथा कब्जा भी सुपुर्द कर दिया था जिससे कानूनन उक्त आराजी मे रेस्पो0 संख्या 2 से 4 के पिता बंशी उर्फ बंशीलाल पुत्र लुम्बाजो का उनके खातेदारी मे कोई हक हिस्सा रहा ही नही इसलिए उनके मृत्यु उपरांत कानूनन इनके वारिसान रेस्पो0 2 से 4 का बतौर उनके उतराधिकार के कोई हक अधिकार नही रहता है इसलिए बंशीलाल के फोत होने पर उसके वारिसान के नाम विरासत का नामांतरकरण स्वीकृत किया ही नही जा सकता था इसलिए विधिविरूद्ध स्वीकृत किये गये नामांतरकरण के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत अपील को अधीनस्थ न्यायालय ने मेरिट पर विवेचन नही करते हुए अपीलांटगण की अपील को खारीज करने में विधिक भूल की है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस मे कथन किया कि अपीलांटगण ने प्रथम अपील न्यायालय मे जिस समय अपीलाधीन नामांतरकरण के विरूद्ध अपील पेश की थीं, उस समय कोई वाद विचाराधीन नही था । अधीनस्थ न्यायालय मे अपील पेश करने के बाद रेस्पो0गण को अपील की सुनवाई का नोटिस मिलने के बाद मिथ्या कथनो के आधार पर दावा इस उददेश्य से पेश किया जिससे प्रस्तुत अपील की सुनवाई न हो सके परंतु कोई वाद दायर कर भी दिया हो तो उससे अपीलीय न्यायालय का अधिकार प्रभावित नही हो सकता है क्योंकि यह एक स्वतंत्र अधिकार था ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 ने धारा 135 (2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया, उस प्रार्थना पत्र के आधार पर अपीलार्थी की अपील को कतई खारीज नही किया जा सकता था परंतु अधीनस्थ

न्यायालय ने 135 (2) के प्रावधानो का बिलकुल गलत अर्थ निकालते हुए अपीलांट की प्रथन अपील को खारीज करने मे विधिक भूल की है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय को निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांटगण अपीलाधीन भूमि के केता स्व0 पुखराज के वारिसान है एवं विवादग्रस्त भूमि पर अपीलांटगण का ही कब्जा काश्त है, उक्त भूमि पर रेस्पो0 गण का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है एवं न ही उन्हे अपीलाधीन भूमि मे कोई टीनेन्सी अधिकार हासिल हुए है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने सरसरी तौर पर अपीलांट की अपील को खारीज करने मे विधिक भूल की है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दौरान यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकारो के द्वारा प्रस्तुत किये गये नियमित वाद या दावो संबंधी कोई दस्तावेज या तथ्य प्रकट नही किये जाने पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय मे इनका उल्लेख करते हुए अपीलांट की अपील को खारीज कर दिया इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे आर.आर.डी. 1979 पेज 1 की निर्णय नजीर पेश की तथा अंत मे अपीलांट की उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–11–2019 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 2 से 4 की ओर से अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए अपनी बहस के दौरान फार्म नंबर 3 के सलंग्न अपीलांट के पिता के पक्ष मे निष्पादित बेचाननामा दिनांक 29–8–1995 को निरस्त करवाने हेतु सिविल न्यायालय देसूरी के न्यायालय मे प्रस्तुत दावा संख्या 1/2018 अनवान चुन्नीलाल वगैरा बनाम ताराचंद वगैरा की प्रति तथा आदेशिकाओ की प्रतियां, रेस्पो0 चुन्नीलाल वगैरा द्वारा वर्तमान अपीलांटगण ताराचंद वगैरा के विरूद्ध न्यायालय सहायक कलेक्टर देसूरी के न्यायालय मे प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की प्रति जिसमे अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा एवं प्रतिवादीगण (वर्तमान अपीलांटगण) द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तथा वर्तमान रेस्पो0गण चुन्नीलाल वगैरा द्वारा न्यायालय सहायक कलेक्टर देसूरी मे प्रस्तुत वाद संख्या 56/2017 तथा उसमे प्रतिवादीगण (वर्तमान अपीलांटगण) द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा एवं काउन्टर क्लेम आदि की प्रतियां पेश कर कथन किया कि अपीलाट अधिवक्ता ने जानबूझकर न्यायालय से तथ्यो को छुपाया है तथा कथन किया कि अपीलांटगण जिस भूमि का बेचान रेस्पो0गण के पिता द्वारा अपीलांट के पक्ष मे दिनांक 29–8–95 करना बताते है, उक्त बेचान दस्तावेज को निरस्त करवाने बाबत रेस्पो0गण ने सिविल न्यायालय देसूरी मे दावा पेश कर दिया है तथा यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी के प्रार्थना पत्र मे उक्त विचाराधीन दावो का स्पष्ट उल्लेख किया हुआ है तथा अपीलांटगण स्वयं की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र

अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी का जवाब प्रस्तुत हुआ है इसलिए अपीलांट का यह कथन सही नही है कि अधीनस्थ न्यायालय को पक्षकारो के बीच सिविल एवं राजस्व न्यायालयो मे विचाराधीन दावो की जानकारी नही थी ।

रेस्पो0 संख्या 2 से 4 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अपनी बहस मे कथन किया कि विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि म्युटेशन की सरसरी कार्यवाही के जरिये अधिकारो का निर्धारण नही होता है बल्कि सिविल न्यायालय एवं राजस्व न्यायालय मे विचाराधीन नियमित वाद के निर्णय से ही पक्षकारो के अधिकारो का निर्धारण संभव है तथा वर्तमान प्रकरण मे यह तथ्य प्रकट हो चुका है कि पक्षकारो के बीच उनके अधिकारो की घोषणा का तथा तथाकथित बेचान दस्तावेज को निरस्त करने हेतु दावे विचाराधीन है, ऐसे मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय मे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया । वकील रेस्पो0 ने अपनी बहस के समर्थन मे आर.आर.टी. 2019 (1) पेज 649, आर.आर.टी. 2019 (2) पेज 1119, आर.आर.टी. 2018 (2) पेज 1084, आर.आर.टी. 2003 (2) पेज 870, आर.आर.टी. 2003 (2) पेज 752 तथा एआईआर 2016 सुप्रिम कोर्ट पेज 2250 की निर्णय नजीरे पेश कर अपीलांट की अपील को खारीज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात, प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र का अध्ययन किया तथा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–11–2019 का अवलोकन किया एवं इस अपील पत्रावली मे रेस्पो0 संख्या 2 से 4 अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के दौरान फार्म नंबर 3 के सलंग्न प्रस्तुत दस्तावेजात का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा अपनी बहस के समर्थन मे प्रस्तुत निर्णय नजीरो आदि का भी ध्यानपूर्वक अध्ययन किया ।

अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 2643 का अवलोकन किया उक्त म्युटेशन बंशीलाल के फोत होने पर विरासत का स्वीकृत किया गया है तथा उक्त म्युटेशन के कॉलम संख्या 7 मे वर्तमान अपीलांटगण ताराचंद वगैरा के साथ बंशीलाल पुत्र लूम्बा जाति जांगिड ब्राह्मण का भी नाम दर्ज था इसलिए उसके नाम के स्थान पर उनके वारिसान मे रेस्पो0 संख्या 2 से 4 का नाम दर्ज किया जाकर स्वीकृत किया गया है, जिसमे प्रथमदृष्टियां कोई विधिक त्रुटि नही होना पाया जाता है।

उक्त नामांतरकरण के विरूद्ध अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रथम अपील मे अपीलांटगण ने मुख्य रूप से यह कथन किया है कि जब रेस्पो0 संख्या 2 से 4 के पिता मृतक खातेदार बंशी उर्फ बंशीलाल पुत्र लुम्बाजी ने अपने खातेदारी का पूरा 1/2 हिस्सा अपने जीवनकाल मे ही जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 29–8–1995 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 25 पृष्ठ संख्या 225 से 226 क.सं. 623/95 वर्तमान अपीलांटगण के पिता पुखराज उर्फ पकिया पुत्र लुम्बाजी को कर दिया था तथा कब्जा भी सुपुर्द कर दिया था तो कानूनन उक्त आराजी मे से मृत खातेदार बंशी उर्फ बंशीलाल पुत्र लुम्बाजी का उक्त खातेदारी मे कोई हक हिस्सा ही नही रहा था

अतः बंशीलाल की मृत्यु उपरांत कानूनन उनके वारिसान रेस्पो0 2 से 4 का बतौर उनके उतराधिकार के कोई हक अधिकार नही रहता है इसलिए बंशीलाल के फोत होने पर उसके वारिसान वर्तमान रेस्पो0 संख्या 2 से 4 के नाम का नामांतरकरण गलत एवं विधिविरूद्ध स्वीकृत कर दिये जाने से उक्त नामांतरकरण के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत अपील को अधीनस्थ न्यायालय ने सरसरी तौर पर खारीज कर दी, जो त्रुटिपूर्ण है ।

इस संबंध मे यह उल्लेखनीय है कि इस न्यायालय हाजा के समक्ष रेस्पो0 संख्या 2 से 4 अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान जिन दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतिया फार्म नंबर 3 के सलंग्न पेश की है उनमे अपीलांट के पिता स्व0 पुखराज उर्फ पकिया के पक्ष मे रेस्पो0 संख्या 2 से 4 के पिता स्व0 बंशीलाल द्वारा निष्पादित बेचाननामा दिनांक 29–8–95 को निरस्त करवाने बाबत सिविल न्यायाधीश देसूरी मे प्रस्तुत वाद एवं उक्त वाद के विचाराधीन होने बाबत आदेशिकाएं भी पेश की है जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट के पिता के पक्ष मे रेस्पो0 संख्या 2 से 4 के पिता द्वारा निष्पादित रजिस्टर्ड बेचाननामे को निरस्त करवाने बाबत दावा विचाराधीन है, जिसका अभी निर्णय होना है तथा उक्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही मे प्रकट हो चुका था ।

रेस्पो0 संख्या 2 से 4 चुन्नीलाल वगैरा द्वारा वर्तमान अपीलांटगण ताराचंद वगैरा के विरूद्ध न्यायालय सहायक कलेक्टर देसूरी के न्यायालय मे अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद पेश किया हुआ है, जिसके पद संख्या 2 मे वादग्रस्त आराजी वादीगण के पिता स्व0 बंशीलाल पुत्र लुम्बाजी एवं प्रतिवादीगण के पिता स्व0 पुखराज उर्फ पकीया पुत्र लुम्बाजी को आवंटित होना बताया है तथा उक्त वाद का वर्तमान अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत जवाबदावा के पद संख्या 3 में अपील मे वर्णित अपीलाधीन भूमि अपीलांटगण एवं रेस्पो0गण के पिता को **आवंटन सुदा** होना बताया ।

इसके अलावा वर्तमान रेस्पो0 संख्या 2 से 4 की ओर से न्यायालय सहायक कलेक्टर देसूरी के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 एवं 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया, जिसके पद संख्या 2 ने वादग्रस्त आराजी लुम्बाजी पुत्र प्रभुजी के खातेदारी की बताई है, इसी प्रकार रेस्पो0 संख्या 2 से 4 की ओर से प्रस्तुत वाद निरस्त करने बेचान दस्तावेज एवं निषेधाज्ञा वाद अन्तर्गत धारा 31, 38 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के पैरा 3 मे भी मौजा देसूरी के नये खसरा नंबर 1976 रकबा 0.3800 हैक्टेयर भूमि जिसके पुराने खसरा नंबर 445/12 रकबा सवा दो बीघा है जो स्व0 लुम्बाजी पुत्र प्रभूजी की खातेदारी व कब्जासुद बताई है जो अपीलांट एवं रेस्पो0 के दादा थे । उक्त वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 एवं 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम जवाबदावे के पद संख्या 2 मे इस तथ्य को अपीलांट ने स्वीकार किया है । इसके अलावा वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 एवं 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के पद संख्या 3 मे वर्तमान अपीलांटगण के पिता पुखराज उर्फ पकाजी को उनके पिता लूम्बाजी व उनकी माता ने हिन्दु रिती रिवाज अनुसार संवत 2010 मे जेठ वद तेरस को उनके भाई जोधाजी पुत्र प्रभुजी को गोद दिया जाना बताया, तथा हिन्दु रिती रिवाज अनुसार समाज के मौजिज व्यक्तियो के रूबरू गोद की रस्में सम्पन्न की जबकि उक्त

वाद पत्र का वर्तमान अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर के पद संख्या 3 मे स्व0 लुम्बाजी ने वर्तमान अपीलांटगण के पिता स्व0 पुखराज उर्फ पकाजी को कभी अपने भाई जोधाजी को गोद नही दिया ।

उपरोक्त स्थिति अनुसार विवादग्रस्त आराजी के संबंध मे दो विपरीत तथ्य दोनो पक्षो द्वारा अवगत कराये गये है अथार्त एक तरफ विवादग्रस्त आराजी पैतृक सम्पति बताई गई है तो दूसरी ओर बंशीलांल एवं पुखराज की स्वअर्जित (आवंटित) सम्पति बताई जा रही है । इसके अलावा बेचाननामे की वैद्यता, बेचान करने की अधिकारिता, वर्तमान अपीलांट के पिता पुखराज उर्फ पकाजी जो कि जोधाजी पुत्र प्रभुजी के गोद गया अथवा नही तथा हक हिस्सो आदि का निर्धारण म्युटेशन की समरी कार्यवाही के जरिये संभव नही है बल्कि ऐसे जटिल प्रश्नो का निर्धारण उपरोक्त राजस्व एवं सिविल दावे जो पक्षकारो के बीच न्यायालय मे विचाराधीन है, उन्ही के निर्णय से होना है तथा यही अभिमत रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निर्णय नजीरो मे दिया गया है ।

ऐसे मे अधीनस्थ न्यांयालय के समक्ष वर्तमान रेस्पो0गण द्वारा प्रस्तुत किये गये अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. एवं धारा 135 (2) लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के प्रार्थना पत्र एवं उसका वर्तमान अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब एवं जवाब के समर्थन मे प्रस्तुत निर्णय नजीरो आदि का अध्ययन एवं परीक्षण करने तथा पक्षकारो के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के उपरांत अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–11–2019 मे सक्षम न्यायालय मे वाद विचाराधीन है, नामांतरकरण अपील की कार्यवाही मे हक अधिकारो का निर्धारण संभव नही होना मानते हुए उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. एवं धारा 135 (2) लेण्ड रेवेन्यु एक्ट को स्वीकार करते हुए अपीलांट की अपील को खारीज करने का जो आदेश पारित किया है, जो समर्थन योग्य होने से उसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित नही समझते है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर देसूरी द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–11–2019 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 04–01–2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अरूण पुरोहित)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर